न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

बनाम केशर

गिरधारी

मु.नं. 117 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा दावा (53, 88, 188)

आज्ञा - पत्र

दिनांक	
14/07/25	वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 24.07.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
24/07/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 20/08/25 को पेश हो।
20/08/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/08/25 को पेश हो।
21/8/25	पत्रावली पेश है। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी के उपस्थित होने पर पत्रावली अभिभाषक पर "Not Press" अंकन कर पत्रावली को खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी को पुनः पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर अनुसार "Not Press" अंकन के पत्रावली इसी रूप में खारिज किये जाने के निर्देश दिये है। पत्रावली निकाल दिये जाने बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Not Press

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.26 15:06:02 IST
Reason: SelfAttested